

No.7(84)-E.III/95
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi,
the 12th June, 1996

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1986
- clarification regarding.

The undersigned is directed to invite a reference to this Ministry's O.M.No.1(2)-E.III/95 dated 23rd March 1995 which provided that Govt. servants whose increment fell on 1.1.86 shall have an option to get their pay refixed in the revised scale as on 1.1.86 without taking into account the increment due on 1.1.86. It further provided that after the pay in the revised scale is so fixed, the increment may be allowed on 1.1.86 in the revised scale.


2. It has come to the notice of this Ministry that certain Ministries/Departments have refixed the pay wrongly in cases where the Govt. servants are allowed the benefit of bunching in terms of Note 3 below Rule 7 of CCS(RP) Rules, 1986. It may be clarified that no benefit in refixation of pay in terms of the orders dated 23.3.95 arises in such cases. The reason being - the benefit in terms of Note 3 below Rule 7 ibid is allowed by stepping up of the pay. By virtue of first proviso to Rule 8 ibid, where pay is stepped up, next increment becomes due on completion of qualifying service of 12 months from the date of stepping up of the pay in the revised scale. It means that after allowing the benefit of bunching by stepping up of the pay as on 1.1.86, the next increment will fall due on 1.1.87 if the entire intervening period qualifies for service. There is no scope for allowing the increment due on 1.1.86 after the pay has been stepped up.

3. Alternately, if the pay is fixed as on 1.1.86 without taking into account the increment due on 1.1.86 and thereafter the increment due is allowed on 1.1.86 in the revised scale, in that event, there will be no bunching and the benefit of stepping up of pay in terms of Note 3 below Rule 7 may not arise. This is so because bunching can take place only when the pay is fixed in the revised scale under Rule 7 and not after the increment due is released in the revised scale under Rule 8 ibid.

contd.....

From prepage.....

4. Accordingly, Ministry of Home Affairs etc. are advised to bring these provisions to the notice of all concerned and wherever the pay has been refixed wrongly in terms of this Ministry's OM dated 23.3.95, it should be rectified in consultation with the Deptt. of Personnel & Training. With a view to avoiding any legal complications, it is advisable that wherever the pay is to be brought down as a result of rectification of wrong fixation of pay, an opportunity may be allowed to the Government servant to represent against the proposed order, if he so desires. Thereafter, taking into account the points raised in the representation, a final decision may be taken in consultation with the Deptt. of Personnel & Training.



(B. KUMAR)

Under Secretary to the Government of India

To,

All Ministries/Departments of Govt. of India.
(As per standard distribution list)

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

रां०-7१84१-संस्था-111/95

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

* * * * *

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून, 1996.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियमावली, 1986 के संबंध में स्पष्टीकरण

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 23 मार्च, 1995 के का०शा० सं० 1१2१-संस्था-111/95 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि दिनांक 1.1.86 को देय है उन्हें 1.1.86 को देय वेतन वृद्धि की गणना किए तब 1.1.86 को संशोधित वेतनमान में अपना वेतन पुनर्निर्धारित कराने का विकल्प प्राप्त होगा। इनमें यह भी प्रावधान किया गया था कि इस प्रकार से संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारित किए जाने के बाद दिनांक 1.1.86 को संशोधित वेतनमान में वेतनवृद्धि की अनुमति दी जाए।

2. इस मंत्रालय की जानकारी में आया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों ने उन सरकारी कर्मचारियों, जिन्हें के०स०से० संशोधित वेतन नियमावली, 1986 के नियम 7 के नीचे नोट 3 की शर्तों के अनुसार स्वमुश्त लाभ की अनुमति प्राप्त है, के मामले में वेतन का पुनर्निर्धारण गलत रूप से किया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में दिनांक 23.3.95 के आदेशों की शर्तों के अनुसार वेतन के पुनर्निर्धारण में किसी प्रकार के लाभ का स्थान नहीं है। इसका कारण वही नियम 7 के नीचे नोट 3 की शर्तों के अनुसार वेतन बढ़ाकर लाभ देने की अनुमति दी गई है। वहीं नियम 8 के परन्तुक के कारण जहां वेतन बढ़ाया गया है, संशोधित वेतनमान में 12 महीने की अर्हक सेवा पूरी करने पर अगली वेतन वृद्धि देय हो गई है। इसका अर्थ यह है कि 1.1.86 को वेतन बढ़ाने से स्वमुश्त लाभ की अनुमति देने के बाद यदि सेवा के लिए बीच की सूची अवधि अर्हक हो जाती है तो अगली वेतनवृद्धि 1.1.87 को देय होगी। वेतन बढ़ाने के बाद 1.1.86 को देय वेतन वृद्धि की अनुमति की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है।

3. इसके अलावा, यदि 1.1.86 को देय वेतनवृद्धि को गणना में लिए और दिनांक 1.1.86 को वेतन निर्धारित किया जाता है और उसके बाद संशोधित वेतनमान में 1.1.86 को वेतनवृद्धि की अनुमति दी जाती है, तो ऐसे मामले में कोई एकमुश्त लाभ नहीं होगा और नियम 7 के नीचे नोट 3 की शर्तों के अनुसार वेतन बढ़ाने का लाभ देय नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एकमुश्त लाभ तभी मिल सकता है जबकि वेतन नियम 7 के अंतर्गत संशोधित वेतनमान के निर्धारित किया गया हो और वही नियम 8 के अंतर्गत संशोधित वेतनमान में वेतनवृद्धि के बाद देय जारी नहीं किया जाता।

4. तदनुसार गृह मंत्रालय आदि को सलाह दी जाती है कि इन प्रावधानों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाए और जहां भी वेतन का पुनर्निर्धारण गलत रूप से हुआ हो इस मंत्रालय के दिनांक 23-3-75 के का०ज्ञा० की शर्तों के अनुसार ऐसे मामलों में केमिर्क एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से सुधार लाया जाए। किसी प्रकार की विधिक जटिलताओं से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि जहां भी गलत वेतन निर्धारण में सुधार के परिणामस्वरूप वेतन को कम किया जाना है, सरकारी कर्मचारियों को, यदि वे चाहें, तो प्रस्तावित आदेश के उत्तर में एक अवसर की अनुमति प्रदान की जाए। उसके बाद प्रतिवेदन में उठाए गए बिन्दुओं की गणना करते हुए केमिर्क एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श करके अंतिम निर्णय लिया जाए।



बी.के. कुमार

अवर सचिव, भारत सरकार

सखा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
ईमानदारी वितरण सूची के अनुसार प्रेषित।